

प्रेषिका,

अर्चना सिंह -प्रथम

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ ।

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल

माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

मेरठ ।

विषय - वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी वर्ष २०२२ -२३ के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी वर्ष २०२२-२३ में प्रदान की गयी प्रतिकूल प्रविष्टी के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन निम्न प्रकार है -

(१)-कॉलम संख्या १(c)- she is tries hard not to lose her temper. However, more control is requirement .

--यह कि इस सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय कक्ष में प्रतिदिन नियत होने वाली पत्रावलियों की सुनवाई समय से डायस पर बैठकर की जाती है एवं सम्पूर्ण न्यायिक कार्य शांतिपूर्वक एवं खुशनुमा वातावरण में संपन्न किया जाता है।

--यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा डायस पर प्रार्थिनी के संयम खोने या कार्यव्यवहार या आचरण के सम्बन्ध में कभी भी कोई मौखिक या लिखित आपत्ति/निर्देश/आदेश प्रार्थिनी को नहीं दिया गया है और ना ही कभी इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि प्रार्थिनी के संयम खोने या कार्य व्यवहार या आचरण के सम्बन्ध में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

--वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी डायस पर एवं विश्राम कक्ष में हमेशा यहाँ तक कि कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण रूप से शांत रहकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण सत्यनिष्ठा व ईमानदारी एवं पारदर्शिता से करती है।

(२)-कॉलम संख्या ४-I asses her a good officer although she can easily improve to be a very good officer.

-- यह कि इस सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि -

\*प्रार्थिनी द्वारा वर्ष २०२२-२३ में कुल लक्ष्य यूनिट ७११.२८ के सापेक्ष १३७०.०१ यूनिट (६५८.७३यूनिट अधिक) का कार्य (लगभग १९२.७३% कार्य) संपन्न किया गया है तथा G.L.NO.11/4-h-14/2022 dated 18/08/2022 के अनुपालन में कुल लक्ष्य यूनिट २००.७६ यूनिट के सापेक्ष २४८.६१ यूनिट का कार्य संपन्न किया गया।

*Aashu*

\*प्रार्थिनी द्वारा वर्ष २०२२-२३ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एकशन प्लान के अनुसार-

-सिविल मूलवाद के लक्ष्य ३० मूलवाद के सापेक्ष २४ मूलवाद,-३० मूलवाद के सापेक्ष २४ मूलवाद एवं १० निष्पादन वाद के सापेक्ष ८ निष्पादन वाद (दिनांक ०१/०४/२०२२ से दिनांक ०२/०२/२०२३ तक न्यायालय अपर सिविल जज(सी.डी.) कक्ष संख्या-५ में) एवं ३५ फौजदारी वाद के सापेक्ष ३५ फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया।

--यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी द्वारा वर्ष २०२२-२३ में दिनांक ०१/०४/२०२२ से दिनांक ०२/०२/२०२३ तक लगभग ८०% आदेश/निर्णय/पत्राचार आदि स्वयं के हस्तलेख में

किये गये क्योंकि प्रार्थिनी के न्यायालय अपर सिविल जज(सी.डी.) कक्ष संख्या-५ में (दिनांक १३/०४/२०२१ से दिनांक ०२/०२/२०२३ तक) आशुलिपिक की नियुक्ति सप्ताह के अंतिम ३ दिन थी तथा उक्त आशुलिपिक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करते थे जिसके बारे में प्रार्थिनी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को समय २ पर लिखित रूप से सूचित भी किया गया था। यहाँ तक कि प्रार्थिनी ने सिविल के सभी निर्णीत (प्रतिस्पर्धित) वाद स्वयं के हस्तलेख में पारित किये हैं।

--यह भी कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष २०२२-२३ में स्वयं निम्न तथ्य अंकित किये गए हैं कि -

-प्रार्थिनी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

-बार से सम्बन्ध संतुलित हैं।

-साथी एवं वरिष्ठ अधिकारियों से व्यवहार अच्छा है।

-प्रार्थिनी द्वारा पारित किये गए निर्णय तथ्यों व विधिक प्रावधान पर आधारित, सकारण एवं अच्छी भाषा में लिखे गए हैं।

-प्रार्थिनी समय से डायस पर बैठती है।

--यह भी कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं उपरोक्त तथ्यों का वर्णन किये जाने के बाद भी प्रार्थिनी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में "Overall assessment" के कॉलम में बिना किसी ठोस आधार के "Good" एवं प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है जो कि पूर्ण रूप से आधारहीन है।

--यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष २०२१-२२ में भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय (श्री रजत सिंह जैन) द्वारा प्रार्थिनी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में "Overall assessment" के कॉलम में बिना किसी ठोस आधार के "Good" प्रविष्टि प्रदान की गयी थी जो बिना कोई प्रत्यावेदन किये प्रार्थिनी के कार्य विवरण एवं आचरण व व्यवहार को द्रष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा "Very Good" में परिवर्तित कर दी गयी थी।

--श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगातार दो बार वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ में बिना किसी ठोस आधार या गलती के उपरोक्त प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय प्रार्थिनी के बारे में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्योंकि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय से प्रार्थिनी की मुलाकात या तो मासिक बैठक में या न्यायालय परिसर में आयोजित हुई सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक में ही हुई हैं। प्रार्थिनी द्वारा अनेकों बार परिवार सहित मुलाकात करने हेतु याचना किये जाने के बाद भी उनके द्वारा प्रार्थिनी को कभी मुलाकात का समय

*Anchali*

ही नहीं दिया गया तब ऐसी स्थिति में यह भी संभव नहीं है कि प्रार्थिनी की किसी बात से उनके अहम् को ठेस पहची हो।

--प्रार्थिनी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन हमेशा पूर्ण सत्यनिष्ठा लगन व ईमानदारी से किये जाने के बाद भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय प्रार्थिनी से "किस प्रकार के सुधार की अपेक्षा रखते हैं" यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः आपसे से सादर अनुरोध है कि प्रार्थिनी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थिनी आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर

दिनांक - ०८/०८/२३

भवदीया

~~Aug 08/23~~

अर्चना सिंह-प्रथम

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ